फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री योगेश कुमार जोशी पिता गोपाल लाल जोशी निवासी नगरी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

1–सचिव, ग्राम पंचायत नगरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

2–लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 69 /2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/08/20	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री योगेश कुमार जोशी पिता गोपाल लाल जोशी निवासी नगरी द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु एक आवेदन दिनांक 23.09.2019 को सचिव, ग्राम पंचायत, नगरी को प्रस्तुत किया जिस पर सचिव, ग्राम पंचायत, नगरी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, नगरी के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 23.06.2020 को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत की गई। उसके बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी (सचिव), ग्राम पंचायत, नगरी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को उक्त आवेदन पत्र से चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। अपील के साथ संलग्न सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत, नगरी को सम्बोधित है एवं चाही गई सूचनाएं भी ग्राम पंचायत, नगरी से संबंधित है जो कि पंचायती राज विभाग का विषय है। लोक सूचना अधिकारी (सचिव), ग्राम पंचायत, नगरी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की सक्षमता/क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी (विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़) से सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करने तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में माननीय राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ अपील निरस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (के.के. शर्मा) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)	N.पी. 7/8/20

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official